GM(J)

9.4.2018

मध्यप्रदेश शासन

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 06 04.2018

JE 9/4

क्र. एफ 16-24/2017/ए-ग्यारह:राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया ट्राईडेन्ट ग्रुप द्वारा ₹ 6250.00 करोड़ के पूंजी निवेश से बुदनी, जिला सीहोर में मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाईल हब एवं पेपर प्रोडक्टस प्लांट की स्थापना संबंधी प्रस्ताव : इन्टेन्शन-टू-इन्वेस्ट क्रमांक CIE-14185, ₹ 825.00 करोड के पूंजी निवेश से बुदनी जिला सीहोर में बेडशीट (निर्यातक इकाई) को निम्नानुसार विशेष सुविधाऐं दी जावे:-

1. स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क से मुक्ति - परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समूह के आधिपत्य की भूमि हेतु ट्रायडेंट समूह द्वारा प्रवर्तित कंपनियों/ अनुषांगिक कम्पनी/ सहयोगी कम्पनी/ एस.पी.व्ही/ नवीन कम्पनी के बीच अमलगेशन/ मर्जर/ एक्वीजेशन/ हस्तांतरण के फलस्वरूप भूमि के अंतरण/क्रय के लिखत पर देय स्टांप ड्यूटी, पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा की जावे।
2. विद्युत शुल्क से छूट - परियोजना अन्तर्गत 33 के.व्ही. अथवा 132 के.व्ही. अथवा 220 के.व्ही. विद्युत भार पर 10 वर्षो के लिये विद्युत शुल्क से छूट।
3. विद्युत टैरिफ में रियायत - वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षो हेतु ₹ 5/- प्रति यूनिट की स्थिर दर से विद्युत उपलब्ध करायी जावे, परन्तु यह रियायत 31 मार्च, 2027 के पश्चात् देय नही होगी । संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी देयक की शेष राशि (यदि कोई हो तो) मध्यप्रदेश ट्रायफेक से अनुदान के रूप में प्राप्त कर सकेगी ।
4. निवेश प्रोत्साहन सहायता- उद्योग संवर्धन नीति 2014(यथा संशोधित 2017) प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता 7 वर्षों के लिए शर्तो के अध्याधीन ।
5. ब्याज अनुदान - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2017) अनुसार टेक्टसटाईल्स उद्योगों के लिए विशेष वित्तीय सहायता अन्तर्गत भारत सरकार की टफ स्कीम (Tuf Scheme) में वस्त्र मंत्रालय के संकल्प क्रमांक 6/4/2007-सी 71, नवम्बर, 2007 में वर्णित अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी पर लिये गये टर्म लोन पर ब्याज अनुदान शर्तो के अध्याधीन।

निरंतर.........

6. प्रशिक्षण हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति - परियोजनाओं में कार्यरत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों (नियमित एवं कान्ट्रेक्ट कर्मचारियों सहित) को 4 माह तक 50% वेतन की प्रतिपूर्ति अधिकतम रूपये 1 लाख तक की जावे। यह एकीकृत स्वीकृति प्रतिवर्ष अधिकतम रूपये 5 करोड़ की सीमा में होगी तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्षों के लिये देय होगी। इस प्रकार इस मद में अधिकतम रूपये 25 करोड़ के व्यय की एकीकृत प्रतिपूर्ति सभी 7 निवेश परियोजनाओं को मिलाकर की जा सकेगी। यह सहायता इन 7 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु ही देय होगी ।

7. हरित औद्योगिकीकरण हेतु सहायता- उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत प्रावधानों के अध्याधीन 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान अधिकतम रूपये 25 लाख होगी।

8. को-जनरेशन केप्टिव पावर से उत्पादित विद्युत के ग्रुप की राज्य में स्थित इकाईयों द्वारा केप्टिव उपयोग पर 10 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क में छूट देय होगी तथा इस पर व्हीलिंग चार्ज (Wheeling Charge) के अतिरिक्त कोई अन्य राशि देय नही होगी ।

9. नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति - परियोजना निर्माण अवधि में निर्माण सामग्री पर राज्य को प्राप्त नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति ।

10. परियोजना को स्वीकृत विशेष सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में दिनांक 31 मार्च, 2022 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जावे।

11. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर.........

CIE14185

पृ.क्रमांक एफ 16-24/2017/ए-ग्यारह   भोपाल, दिनांक 06 04.2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
4. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल ।
5. कलेक्टर, जिला सीहोर
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल।
7. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, ई-212, किचलू नगर, लुधियाना-141001 (पंजाब)

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

CIE14185